

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक:- ग्रा. से.शि/2025/ 293

प्रकरण सं.:- 263/2025
दिनांक:- 14.10.25

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी उडांली व भू.अ. नि. भुंका वगती की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम उडांली तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 32 व 230 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>उडांली</u>	<u>32 व 230</u>	<u>24 व 25/1</u>	<u>खेकरा राम पुत्र हंसू राम</u>	<u>खीमाराम पुत्र हंसूराम</u>

समदर सिंह भाटी

(समदरसिंह भाटी)
पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी

दिनांक:- 14.10.25

क्रमांक:- सम./2025/ 294-296

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
2. प्राथी खीमाराम / हंसूराम उडांली तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



समदर सिंह भाटी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी